



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़, 1948 (श०)

संख्या - 417 राँची, बुधवार,

22 जुलाई, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

3 जुलाई, 2026

संख्या-03/नि0सं0-03-01/2022 का० 4350--श्री विजय वर्मा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 34/20) द्वारा दिनांक 25.09.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति के संबंध में अभ्यावेदन दिनांक 04.05.2026 समर्पित किया गया।

2. श्री बिजय वर्मा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 34/20) का अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है:-

(i) विभागीय परिपत्र संख्या 3515 दिनांक 23.07.2020 के आलोक में विगत 5 वर्षों में से कुल 4 वर्ष अर्थात् 48 माह की वार्षिक परफॉर्मंस स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) की उपलब्धता प्रोन्नति हेतु वांछित है।

(ii) झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु दिनांक 25.09.2020 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में श्री वर्मा का विगत 5 वर्षों में कुल 46 माह का वार्षिक परफॉर्मंस स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) उपलब्ध रहने के कारण श्री वर्मा के संबंध में "यथेष्ट गोपनीय चारित्र्य के अभाव में प्रोन्नति लंबित" की अनुशंसा की गई थी।

(iii) श्री वर्मा का कुल 48 माह का वार्षिक परफॉर्मेंस स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) प्राप्त होने के उपरान्त अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु परिचालन के माध्यम से विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा दिनांक 24.12.2020 को प्राप्त हुई जो निम्नवत् है:-

“दिनांक 25.09.2020 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा के आलोक में प्रोन्नति की अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में सशर्त प्रोन्नति हेतु योग्य।”

(iv) विभागीय पत्रांक 6752 दिनांक 24.12.2020 द्वारा राज्य सरकार के सभी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर रोक के आलोक में समिति की अनुशंसा पर अग्रतर कार्रवाई नहीं की जा सकी थी ।

- विभागीय परिपत्र सं0 3463 दिनांक 03.06.2022 द्वारा प्रोन्नति पर जारी रोक संबंधित आदेश संख्या 6752 दिनांक 24.12.2020 को आहरित किये जाने के आलोक में पुनः प्रोन्नति प्रदान करने की कार्रवाई की गई ।

(v) दिनांक 25.09.2020 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 6137 दिनांक 28.09.2021 द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के कुल 53 पदाधिकारियों को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई थी। अतएव विभागीय अधिसूचना संख्या 5473 दिनांक 29.08.2022 द्वारा दिनांक 25.09.2020 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में किये गए अनुशंसा के आलोक में श्री वर्मा को भी दिनांक 28.09.2021 के भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की गई ।

3. W.P.(S) No. 5119/2022 प्रणव कुमार पाल एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 20.09.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 6128 दिनांक 01.11.2023 द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के उपरोक्त 53 पदाधिकारियों को दिनांक 25.09.2020 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा के आलोक में अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में अधिसूचना ज्ञापांक 6137 दिनांक 28.09.2021 द्वारा प्रदत्त प्रोन्नति के स्थान पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा की तिथि दिनांक 25.09.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान किया गया है ।

- उक्त पदाधिकारियों को प्रोन्नति का वित्तीय लाभ अधिसूचना ज्ञापांक 6137 दिनांक 28.09.2021 के आलोक में अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय किया गया ।

4. W.P.(S) No. 5119/2022 प्रणव कुमार पाल एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 20.09.2023 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

"12. in view of the above therefore, that part of the order of promotion published vide notification dated 28.09.2021 issued under the signature of respondent no.3 by which the petitioners have been promoted from the post of Sub-Divisional Officer to the post of Additional Collector with effect from the date of notification i.e. 28.09.2021 is hereby quashed with a direction to the concerned respondents to consider the promotion of the petitioners to the post of Additional Collector from the date of recommendation made by the Departmental Promotion

Committee i.e. 25.09.2020. The consideration indicated above should be done and dusted with within a period of 8 weeks from the date of receipt/production of a copy of this order."

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं अनुशंसाओं के आलोक में श्री बिजय वर्मा झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक 34/20) को अधिसूचना संख्या 5473 दिनांक 29.08.2022 द्वारा अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान-15600-39100/-ग्रेड पे-7600/- पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-12) में प्रदत्त प्रोन्नति के स्थान पर उनसे कनीय श्री पंकज कुमार साव, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-36/20) को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान-15600-39100/- ग्रेड पे-7600/- पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-12) में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि 25.09.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से सशर्त वैचारिक प्रोन्नति प्रदान किया जाता है ।

श्री वर्मा को भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति का वित्तीय लाभ अधिसूचना ज्ञापांक 5473 दिनांक 29.08.2022 के आलोक में अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के पद पर प्रभार की तिथि से अनुमान्य होगा ।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव ।
